न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 04/2017 दायर दिनाँक 12.01.2017

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. संजय कुमार भाटी दत्तक पुत्र माधोराम उर्फ मोडूराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान हाल निवासी 36/105 भोपो का बाडा अजमेर		1. रामा उर्फ रामलाल पुत्र डुंगाराम मृतक जरिये इसके विधिक वारिसान 1/1 बालमुकुन्द भाटी पुत्र स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी 36/105 भोपों का बाडा अजमेर 1/2 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कैलाश पुत्री स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी श्रृंगार चंवरी भजनगंज अजमेर 1/3 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी 36/105 भोपों का बाडा अजमेर 2. महेशचन्द पुत्र खेताराम मृतक जरिये इसके विधिक वारिसान 2/1 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी महेशचन्द जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 2/2 गुलाबसिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 2/3 धनोप सिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटीबास डीडवाना 2/4 सोनुसिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटीबास डीडवाना 3. सुगनचन्द पुत्र खेताराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 4. तुलछीराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी भाटी बास 5. इन्दरचन्द पुत्र खेताराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 6. वरूण गौड पुत्र कमल गौड जाति ब्राहम्ण निवासी लाल बाग डीडवाना 7. श्रीमती मीता पत्नी गोपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी डीडवाना रोड कृषि मण्डी के पास डॉ0 गोठवाल के पीछे कुचामनसिटी तहसील नावां 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 47 (1) धारा 114 एवं सपठित धारा 151
सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थितः –

1. श्री केशव ओझा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्रीमति संतोष जाजू अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से
3. श्री जमनालाल जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1, 1/2, 1/3

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.02.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है यह कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद उपरोक्त वर्णितानुसार श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी सं. 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 क व घ एवं धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का मूल वाद खारिज किये जाने के आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई।

उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 6 व 7 द्वारा दिनांक 11.09.2017 को मय दस्तावेज के पेश किया गया था।

प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की एवं अप्रार्थी सं. 6 व 7 द्वारा भी लिखित बहस मय नजीरों के पेश की गई।

प्रार्थी संजयकुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी की डीडवाना में स्थित खसरा भूमि संवत 2018 से 2021 डूंगाराम पुत्र चेनाराम के नाम से दर्ज थी। लेकिन खेतराम वल्द डूंगाराम ने भू–प्रबन्ध विभाग एवं तहसीलदार, डीडवाना से मिलीभगत कर सम्पूर्ण भूमि अकेले के नाम से दर्ज करवा ली तथा खेताराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि महेशचन्द, सुगनचन्द, तुलसीराम, इन्द्रचन्द के नाम नामान्तरण सं. 84 दिनांक 19.04.1989 को इन्द्राज करवाली तथा कुछ सम्पत्ति का बेचान भी कर दिया तथा महेशचन्द ने अपने आपको मोडूराम उर्फ माधोराम का दत्तक पुत्र बताते हुए एक दीवानी वाद अपर जिला न्यायाधीश अजमेर में अनुवानी–तुलसीराम व अन्य बनाम रामाराम प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी संजयकुमार को पक्षकार नहीं बनाया गया। तब प्रार्थी ने उच्च न्यायालय जयपुर में उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत की। प्रार्थी ने यह बताया कि मोडूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे भाई रामलाल के पुत्र संजयकुमार भाटी को गोद लिया था तथा कर्म उसके द्वारा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

ही सम्पन्न किये गये थे तथा महेशचन्द ने अपने आपको मोडूराम का फर्जी दत्तक पुत्र बता रखा है तथा दूसरी ओर खेताराम का वारिसान बनते हुए खसरा न. 1379 रकबा 2 बीघा 14 बिश्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी सं. 6 व 7 को कर दिया तथा उक्त पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए आदेश दिनांक 07.12.2016 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी सं. 6 व 7 की अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी संजयकुमार ने एक राजस्व वाद अनुवान–संजयकुमार बनाम रामा उर्फ रामलाल व अन्य वाद संख्या 2006/0101 श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वाद के मुख्य अनुतोष में वादी (प्रार्थी) ने पैरा (क) में यह प्रार्थना की है कि "प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के द्वारा जो बेचाण–प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के हक में किया गया है, को निरस्त करार दिया जावे। "उपरोक्त वाद में हम अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 क व घ एवं धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र की विधिवत सुनवाई कर एवं हम अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा पेश नजीरों का ससम्मान अध्ययन कर न्यायालय श्रीमान ने उक्त मूल वाद खारिज कर दिया था। धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में जो प्रावधान किये गये है वे समस्त पूर्णतया सीमित प्रावधान हैं। उन प्रावधानों के तहत केवल मात्र ऐसी भूल या त्रूटि को सुधारा जा सकता है जो प्रथम दृष्ट्या पहले सामने नहीं आई हो। हस्तगण प्रकरण में ऐसी कोई भूल या त्रूटि नहीं थी जो न्यायालय के समक्ष नहीं आई हो। पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में जो प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में है वे अत्यन्त सीमित हैं एवं उनका प्रयोग सीमितता की हद तक ही किया जा सकता है।

वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं है तथा ना ही वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र रहा है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 अजमेर में एक दीवानी वाद सं. 49/2005, 182/05, 168/07 अनवानी–तुलसीराम आदि बनाम रामाजी उर्फ रामलाल के बीच चला था जिसके निर्णय दिनांक 20.10.2008 में न्यायालय श्रीमान ने विस्तृत विवेचन करके यह निर्णय किया है कि संजय भाटी जो इस वाद में वादी है, स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं है बल्कि स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र महेश है। उक्त विवाद्यक की उक्त वाद में तनकी बनी है तथा उक्त दत्तक पुत्र के बारे में तनकी बनाकर विस्तृत विवेचना करके न्यायालय ने संजय भाटी वादी (प्रार्थी) को स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र ही नहीं माना है। इसलिए वादी (प्रार्थी) का वाद प्रथम दृष्ट्या ही अधिकारिता विहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादी (प्रार्थी) द्वारा निर्मित अनेक दस्तावेजों में वादी (प्रार्थी) ने कहीं पर भी अपने को स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं माना है, सभी दस्तावेजों में वादी (प्रार्थी) द्वारा अपने पिता का नाम रामलालजी लिखा है। अतः वादी (प्रार्थी) किसी भी तरह से स्व. मोडूराम जी का दत्तक पुत्र विधी अनुसार नहीं है।

खसरा न.1379 की भूमि एकमात्र स्व. खेताराम के खातेदारी व कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग की भूमि है। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों की खातेदारी में रही है तथा उनका ही कब्जा, काश्त, उपयोग व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

उपभोग रहा है। इस प्रकार वादी को किसी भी प्रकार से वाद हेतुक व वादाधार प्राप्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व न्यायालय केवल उन्हीं विषयों से सम्बन्धित वाद को सुन सकते है जिनका सम्बन्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची में अंकित है।

जहाँ दावे (वाद) में मुख्य अनुतोष विक्रय–पत्र निरस्त करवाने का हो और अन्य अनुतोष राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित हो, ऐसे दावे को सुनने एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में ही निहित है। इसलिए सिविल प्रकिया संहिता की धारा 21 के तहत श्रवणाधिकार के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में व धारा 80(2) सी.पी.सी. में छूट नहीं लेने के कारण उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।वादी (प्रार्थी) को अपने वाद में स्व. खेताराम की खातेदारी का ज्ञान व विक्रय–पत्र का ज्ञान किस तारीख को हुआ, कहीं भी वर्णन नहीं किया गया जबकि वादी को प्रारम्भ से ही खातेदारी का व विक्रय–पत्र का ज्ञान था। इसलिए उक्त वाद प्रारम्भ से ही अन्दर मियाद नहीं था।

अतः लिखित बहस का जवाब पेशकर निवेदन है कि उक्त रिव्यू का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की लिखित बहस का गहनता से अवलोकन किया गया एवं साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 द्वारा पेश नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी गहनता के साथ अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेज लिखित बहस व नजीरों के अवलोकन के बाद न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि : –

1. प्रार्थी संजयकुमार ने एक राजस्व वाद अनुवान–संजयकुमार बनाम रामा उर्फ रामलाल व अन्य वाद संख्या 2006/0101 श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वाद के मुख्य अनुतोष में वादी (प्रार्थी) ने पैरा (क) में यह प्रार्थना की है कि "प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के द्वारा जो बेचाण–प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के हक में किया गया है, को निरस्त करार दिया जावे।" उपरोक्त वाद में अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 क व घ एवं धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र की विधिवत सुनवाई कर एवं पेश नजीरों का ससम्मान अध्ययन कर न्यायालय ने उक्त मूल वाद खारिज कर दिया था। प्रार्थी (वादी) संजयकुमार द्वारा उक्त मूल वाद को खारिज कर देने के बाद यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की है।

धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में जो प्रावधान है वे सीमित प्रावधान हैं। उन प्रावधानों के तहत केवल मात्र ऐसी भूल या त्रूटि को सुधारा जा सकता है जो प्रथम दृष्टया पहले सामने नहीं आई हो। हस्तगण प्रकरण में ऐसी कोई भूल या त्रूटि नहीं थी जो न्यायालय के समक्ष नहीं आई हो। पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में जो प्रावधान काश्तकारी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अधिनियम में है वे अत्यन्त सीमित हैं एवं उनका प्रयोग सीमितता की हद तक ही किया जा सकता है।

पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने निम्न अति महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय पेश किये : –

(1)नजरसानी/एल.आर./6255/2010 जिला पाली, अनुवान–सुरेश कुमार "बनाम" तमिलनाडु सरकार व अन्य का निर्णय एकलपीठ का दिनांक 12.04.2012 का न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर का

(2) नजरसानी रेफ/एल.आर./12212/2008/अलवर, अनुवान–मन्दिर श्री शिवजी महाराज "बनाम" राजस्थान सरकार व अन्य का निर्णय एकलपीठ का दिनांक 21.02.2012 का न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर का

(3)नजरसानी/टी.ए./274/07/जिला–करौली, अनुवान–गौरीशंकर "बनाम" केदारलाल व अन्य का निर्णय एकलपीठ का दिनांक 24.11.2011 का न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर का

(4) R.R.D. 2011 PAGE 109 CITATIONS-SUMITRA DEVI V/S RAJENDRA KUMAR & ORS.

(5)राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 पेज 562 से 564 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(6) R.R.D. 2010 PAGE 727 TO 729 CITATIONS-OM PRAKASH & ANR. V/S VIJAY SINGH & ANR.

(7) R.R.D. 2009 PAGE 563 TO 566 CITATIONS-KUSUM DEVI CHATURVEDI V/S PERMANAND& ORS.

(8) R.R.D. 2009 PAGE 460 TO 462 CITATIONS- RAMA & ORS. V/S KAMLA BAI

(9) R.R.D. 2009 PAGE 326 TO 329 CITATIONS-BHANWAR SINGH V/S STATE OF RAJ.

(10) R.R.D. 2009 PAGE 250 TO 252 CITATIONS- DAULA RAM V/S SAJJAN KANWAR

(11) R.R.D. 2009 PAGE 208 TO 211 CITATIONS- SRI RAM & ANR. V/S AMAR SINGH

(12) R.R.D. 2008 PAGE 86 TO 88 CITATIONS-STATE OF RAJ. V/S SHOKAT KHAN & ORS.

(13) R.R.D. 2007 PAGE 317 TO 320 CITATIONS-MILBA BAI & ORS. V/S STATE OF RAJ.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

(14) R.R.D. 2007 PAGE 268 TO 270 CITATIONS- RAMSWAROOP DAS V/S L.R.S. OF MALARAM & ORS.

(15) D.N.J. (RAJ) 2005(2) PAGE 722 TO 724 CITATIONS- KANHAIYA LAL SAINI & ORS. V/S STATE OF RAJASTHAN & ORS.

(16) R.R.T. 2005(1) PAGE 545 TO 548 CITATIONS- SURENDRA KUMAR VAKIL & ORS. V/S CHIEF EXECUTIVE OFFICER M.P. & ORS.

(17) R.R.D. 2005 PAGE 192 TO 195 CITATIONS- SMT. SITO @ MAHAKAUR & ANR V/S MAHAKAUR & ORS.

(18)A.I.R.2000 PAGE 85 CITATIONS- AJIT KUMAR RATH V/S. STATE OF URISA& ORS.

(19)S.S.C. 1997(8) PAGE 715 CITATIONS- PARSION DEVI & ORS. V/S SUMITRI DEVI & ORS.

(20)A.I.R.1995 PAGE 455 CITATIONS- MEERA BHANJA V/S NIRMALA KUMARI CHOUDHURY

(21)S.S.C.1995(1) PAGE 58 CITATIONS-C.S.T. V/S PINE CHEMICALS LTD.

(22)A.I.R.1980 PAGE 674 CITATIONS-NORTHERN INDIA CATERERS (INDIA) LTD. V/S L.T. GOVERNOR OF DELHI.

(23)A.I.R.1961 PAGE 970 CITATIONS-SHRI AMBICA MILLS CO. LTD V/S SHRI S.B. BHATT AND ANOTHER.

(24)A.I.R.1960(S.C.) PAGE 137 TO 142 CITATIONS- SATYANARAYAN LAXMINARAYAN HEGDE AND OTHERS V/S MALLIKARJUN BHAVANAPPA TIRUMALE.

(25)R.R.D. 1984 PAGE 197 TO 199 CITATIONS-JAGO BAI V/S MIRAWA BAI.

(26)R.R.D. 1986 PAGE 277 TO 278 CITATIONS-KALOO RAM V/S HET RAM.

(27)R.R.D. 1995 PAGE 374 TO 375 CITATIONS- BHORIYA V/S NARAIN& ANR.

(28)R.R.D. 1999 PAGE 502 TO 505 CITATIONS-SHRI GURUKUL CHITTORGARH V/S STATE OF RAJ. & ORS.

(29)R.R.D. 2000 PAGE 233 TO 235 CITATIONS- LUMBA V/S SOMA & ORS.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

(30)R.R.D. 2000 PAGE 336 TO 337 CITATIONS-PRATAP SINGH V/S STATE OF RAJ. & ORS.

(31)R.R.D. 2000 PAGE 358 TO 360 CITATIONS-BHANWRA RAM & ORS. V/S STATE OF RAJ. & ORS.

(32)R.R.D. 2002 PAGE 33 TO 35 CITATIONS- GORU @ GORILAL V/S RAJENDRA KUMAR & ORS.

(33)R.R.T. 2003(2) PAGE 1348 TO 1351 CITATIONS-JAGDISH V/S CHANDA.

इन अति महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में रिव्यु का आधार अत्यन्त सीमित माना है एवं यह माना है कि : –

SECTION 229 OF ACT, ACCORDING TO ORDER 47 THE SCPE OF REVIEW IS VERY LIMITED, REVIEW OF A JUDGEMENT CAN BE ALLOWED ON THE FOLLOWING GROUNDS: -

{I} DISCOVERY OF NEW AND IMPIORTANT MATTER OFEVIDENCE

{II} SOME MISTAKE OR ERROR APPARENT ON THE FACE OF THE RECORD: AND

{III} ANY OTHER SUFFICIENT REASON (WHICH HAS BEEN INTERPRETED IN THE PAST TO BE ANALOGOUS TO THE TWO REASONS SPECIFIED ABOVE)

यह सभी न्यायिक विनिश्चयउपरोक्त प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होने के कारण उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र किसी भी तरह सुनने व स्वीकार करने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 क व घ एवं धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया गया था जिसकी सुनवाई के उपरान्त प्रार्थी का राजस्व वाद खारिज किया गया था।

2. वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं है तथा ना ही वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र रहा है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 अजमेर में एक दीवानी वाद सं. 49/2005, 182/05, 168/07 अनवानी–तुलसीराम आदि बनाम रामाजी उर्फ रामलाल के बीच चला था जिसके निर्णय दिनांक 20.10.2008 में न्यायालय श्रीमान ने विस्तृत विवेचन करके यह निर्णय किया है कि संजय भाटी जो इस वाद में वादी है, स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं है बल्कि स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र महेश है। उक्त विवाद्यक की उक्त वाद में तनकी बनी है तथा उक्त दत्तक पुत्र के बारे में तनकी बनाकर विस्तृत विवेचना करके न्यायालय ने संजय भाटी वादी (प्रार्थी) को स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र ही नहीं माना है। दत्तक पुत्र से सम्बन्धित विवाद्यक का निर्णय देने का अधिकार भी केवल मात्र सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। सिविल न्यायालय का उक्त

सहायक कलेक्टर
डेडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी प्रभाव रखता है। इसलिए जब वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र ही नहीं है तो उसको उक्त वाद लाने का कोई भी कानूनन अधिकार नहीं है तथा किसी भी प्रकार से कोई वाद हेतुक व वादाधार वादी (प्रार्थी) को प्राप्त नहीं है। इसलिए वादी (प्रार्थी) का वाद प्रथम दृष्ट्या ही अधिकारिता विहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त दस्तावेज में वादी के पिता का नाम माधोराम उर्फ मोडूराम नहीं है अपितु रामा उर्फ रामलाल लिखा हुआ है। वादी (प्रार्थी) द्वारा निर्मित अनेक दस्तावेजों में वादी (प्रार्थी) ने कहीं पर भी अपने को स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र नहीं माना है, सभी दस्तावेजों में वादी (प्रार्थी) द्वारा अपने पिता का नाम रामलालजी लिखा है। अतः वादी (प्रार्थी) किसी भी तरह से स्व. मोडूराम जी का दत्तक पुत्र विधी अनुसार नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजों से यह पूर्णतया साबित तथ्य है कि वादी (प्रार्थी) स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र स्वयं अपने को नहीं मानता है अपितु स्व. रामाजी उर्फ रामलाल का पुत्र मानता है। इसलिए उसे स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र बनकर किसी भी तरह से उक्त वाद को लाने का अधिकार नहीं है।

वादी (प्रार्थी) संजयकुमार द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फा0टे0) संख्या–2, अजमेर में निर्णित वाद संख्या 49/05, 182/05, 168/2007 अनवानी–तुलसीराम व अन्य "बनाम" रामाजी उर्फ रामलाल व अन्य का ज्ञान स्वयं को नहीं होना व पक्षकार नहीं बनाये जाने का लिखा है, वह मानने योग्य नहीं है। क्योंकि वादी अपने पिता स्व. रामलाल के साथ ही अजमेर भोपों के बास में रह रहा था और वादी के पिता उक्त वाद में पक्षकार है जिसके प्रमाण–स्वरूप दस्तावेज पेश किये गये हैं। उक्त वाद में गोद पुत्र की तनकियात भी बनी थी। उक्त वाद का हाईकोर्ट के स्थगन आदेश से वादी (प्रार्थी) को उक्त राजस्व वाद करने का अधिकार नहीं मिल जाता है एवं हाईकोर्ट के वाद का उक्त वाद से कोई लेना–देना नहीं है ना ही उक्त वाद का उल्लेख कर कोई स्थगन आदेश दिया गया है। वादी (प्रार्थी) को सिविल न्यायालय से अपने को दत्तक घोषित करवाना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय ने उसे नहीं अपितु महेशचन्द को स्व. मोडूराम का दत्तक पुत्र माना है। कोई भी दो व्यक्ति एक साथ दत्तक पुत्र नहीं हो सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के द्वारा खरीद की है तथा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र निरस्त होने के पश्चात एवं सिविल न्यायालय के द्वारा दत्तक घोषित होने के पश्चात ही घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करने का वादी (प्रार्थी) को अधिकार मिलता है। इसलिए वादी (प्रार्थी) को उक्त दावा लाने का कोई अधिकार ही नहीं है।

इस प्रकार वादी को किसी भी प्रकार से वाद हेतुक व वादाधार प्राप्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व न्यायालय केवल उन्हीं विषयों से सम्बन्धित वाद को सुन सकते हैं जिनका सम्बन्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

से अंकित है। इस विषय में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये : –

1) R.L.W. 1963 PAGE 323
2) R.L.W. 1968 PAGE 376
3) R.L.W. 1959 PAGE 402

उक्त सभी न्यायिक विनिश्चय प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते हैं।

3. खसरा न. 1379 की भूमि स्व. खेताराम की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने दिनांक 24.08.2005 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के बेचान कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वादी ने अपने दावे के मुख्य अनुतोष (क) में प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के हक में किया गया बेचान को निरस्त करने की प्रार्थना की है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही है। इसलिए राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं होने से धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता के तहत श्रवणाधिकार के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जहाँ दावे (वाद) में मुख्य अनुतोष विक्रय–पत्र निरस्त करवाने का हो और अन्य अनुतोष राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित हो, ऐसे दावे को सुनने एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में ही निहित है। इस विषय में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये : –

1) L.C. 1993 (1) PAGE 491 BHANWARU KHAN V/S AJAM KHAN
2) R.R.T. 2001 (2) PAGE 814 RUKMANI V/S GORJIYA

इसलिए सिविल प्रकिया संहिता की धारा 21 के तहत श्रवणाधिकार के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

4. वादी (प्रार्थी) का उक्त वाद घोषणात्मक व बंटवारे का है तथा वादी (प्रार्थी) ने राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार भी माना है। मगर वादी (प्रार्थी) ने उक्त वाद करने से पूर्व ना ही तो दो माह का नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. के तहत दिया है तथा ना ही अत्यावश्यक मानते हुए धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत वाद करने की छूट ही ली है। धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना–पत्र पेश करना आदेशात्मक है, जिसके बिना दावा नहीं चल सकता है।

इस विषय में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये : –

1) R.R.T. 2006(1) PAGE 438
2) R.R.D. 2003 PAGE 480

धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में व धारा 80(2) सी. पी.सी. में छूट नहीं लेने के कारण उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

5. वादी (प्रार्थी) को अपने वाद में स्व. खेताराम की खातेदारी का ज्ञान व विक्रय–पत्र का ज्ञान किस तारीख को हुआ, कहीं भी वर्णन नहीं किया गया जबकि वादी को प्रारम्भ से ही खातेदारी का व विक्रय–पत्र का ज्ञान था। इसलिए उक्त वाद प्रारम्भ से ही अन्दर मियाद नहीं है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः वादी को कानूनन वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा ना ही वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा ना ही वादाधार प्राप्त है। इस प्रकार वादी को किसी भी प्रकार से वाद हेतुक व वादाधार प्राप्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद खारिज किया गया है। साथ ही वादी ने दावे के अनुतोष (क) में प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 को किये गये बेचान को निरस्त करने की प्रार्थना की है जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। राजस्व न्यायालय को रजिस्र्ड विकय–पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने से धारा 21 सिविल प्रकिया संहिता के तहत श्रवणाधिकार के अभाव में वाद खारिज किया गया है एवं वादी ने घोषणा व बंटवारे का वाद किया है जिसमें राजस्थान सरकार को पक्षकार तो माना है मगर धारा सी.पी.सी. के तहत ना तो नोटिस दिया है ना ही धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर दावा करने की छूट प्राप्त की है। अतः धारा 80 सी.पी.सी. के तहत छूट नहीं लेने के कारण भी वाद खारिज किया गया है। साथ ही वादी ने अपने दावे में स्व. खेताराम की खातेदारी का ज्ञान व विकय–पत्र का ज्ञान किस तारीख को हुआ, कहीं भी वर्णन नहीं किया है।

अतः आदेश 7 नियम 11 घ के तहत वाद विधी द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन के प्रार्थना–पत्र में आदेश 47 नियम 1 व धारा 114 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत ऐसा कोई भी ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि निर्णय को परिवर्तित किया जा सके।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र किसी भी तरह सुनने योग्य व ग्रहण करने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 07.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 04/2017 दायर दिनाँक 12.01.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. संजय कुमार भाटी दत्तक पुत्र माधोराम उर्फ मोडूराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान हाल निवासी 36/105 भोपो का बाडा अजमेर	बनाम्	1. रामा उर्फ रामलाल पुत्र डुंगाराम मृतक जरिये इसके विधिक वारिसान 1/1 बालमुकुन्द भाटी पुत्र स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी 36/105 भोपों का बाडा अजमेर 1/2 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कैलाश पुत्री स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी श्रृंगार चंवरी भजनगंज अजमेर 1/3 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व0 रामा उर्फ रामलाल जाति माली निवासी 36/105 भोपों का बाडा अजमेर 2. महेशचन्द पुत्र खेताराम मृतक जरिये इसके विधिक वारिसान 2/1 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी महेशचन्द जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 2/2 गुलाबसिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 2/3 धनोप सिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटीवास डीडवाना 2/4 सोनुसिंह पुत्र महेशचन्द जाति माली निवासी भाटीबास डीडवाना 3. सुगनचन्द पुत्र खेताराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 4. तुलछीराम पुत्र खेताराम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		जाति माली निवासी भाटी बास 5. इन्दरचन्द पुत्र खेताराम जाति माली निवासी भाटी बास डीडवाना 6. वरूण गौड पुत्र कमल गौड जाति ब्राहम्ण निवासी लाल बाग डीडवाना 7. श्रीमती गीता पत्नी गोपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी डीडवाना रोड कृषि मण्डी के पास डॉ0 गोठवाल के पीछे कुचामनसिटी तहसील नावां 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 47 (1) धारा 114 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

दिनाँक **07.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा, वकील, प्रार्थी व श्री जमनलाल जांगिड वकील अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3, श्रीमती संजोष जाजु वकील, प्रतिवादीगण 06 व 07 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा पेश पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र किसी भी तरह सुनने योग्य व ग्रहण करने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत..... .....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (डीडवानोर)

Scanned by CamScanner